न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88 आर.टी.ए.

प्रकरण संख्याः- 121/2022

जरनैल सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

बनाम्

1. ईशर सिंह पुत्र श्री कौर सिंह (फौत)

 1/1-रेशम सिंह पुत्र श्री ईशर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

 1/2-कर्मजीत कौर (पुत्री स्व0 श्री ईशर सिंह) पत्नी श्री दर्शन सिह जाति जटसिख निवासी खारा चक किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

 1/3-करमपाल कौर (पुत्री स्व0 श्री ईशर सिंह) पत्नी श्री सुखजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गदराना तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

 1/4-जसप्रीत कौर (पुत्री स्व0 श्री ईशर सिंह) पत्नी श्री गुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गदराना तहसील कालांवाली जिला सिरसा (हरियाणा)।

2. करनैल सिंह पुत्र श्री कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाला, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पक्का सहारणा जरिये शाखा प्रबन्धक।

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सहारण - अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेश झाझडिया - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2
3. राज पैरोकार - प्रतिवादी सं. 3

-:निर्णयः-

दिनांक 18.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणिक व पंजीबद्ध पता वाद-पत्र के शीर्षक में अंकितानुसार है। यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम निम्नलिखित विवरण की कृषि भूमि संयुक्त खातो में दर्ज राजस्व रिकार्ड है :-

क- चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 10/56 के पत्थर नंबर 55/230 (57) किला नंबर 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 5/3, 6 से 9, 12 से 18, 23 से 25 कुल तादादी 4.554 हैक्टेयर कमाण्ड मय गैरमुमकिन में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 2/27 हिस्सा प्रत्येक (1.012 है0) प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वादपत्र है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक सम्पति है। उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के मध्य घराघरू विभाजन किया हुआ है। मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि वादी को प्राप्त हुई है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को चक 28 एलएलडब्ल्यू में कृषि भूमि प्राप्त हुई है, इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मुताबिक घराघरू विभाजन वादपत्र की धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहते है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने के कारण व वादी के हक व हिस्सा अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण वादी के हक, हकूक पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी व दावेदार **है कि वादी वादपत्र की** धारा 3 में वर्णित कृषि भूमि में 1.012 हैक्टेयर का खातेदारी काश्तकार है तथा इस खाता से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से अर्सा सात दिवस पूर्व निवेदन किया कि वे वादपत्र की चरण संख्या-3 में वर्णित कृषि भूमि में से वादी को घरु विभाजन में प्राप्त 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर राजस्व अभिलेख में अंकन दर्ज करवा देवें लेकिन वे इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

यह कि प्रतिवादी संख्या-3 के यहां भूमि अधिभारित होने व प्रतिवादी संख्या 4 भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाये गये है।

यह कि विवादग्रस्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वादपत्र वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें :-

क- कि घोषणा फरमाई जावे कि वादी वादपत्र की धारा 3 में वर्णित वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज 1.012 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार है।

ख- कि चक 27 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 10/56 में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन फरमाया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2 की ओर से अधिवक्ता सुरेश झाझडिया उपस्थित। वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। राजीनामा में चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 10/56 में दर्ज तादादी 4.554 हैक्टेयर में वादी के नाम दर्ज 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1/1, ता 1/4 के नाम दर्ज 1/54 हिस्सा प्रत्येक, व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 2/27 हिस्सा कुल 1.012 हैक्टेयर की वादी के पक्ष में घोषणा चाही गई है। वाद पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व राजीनामा के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेशः-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है किः- चक 27 एलएलडब्ल्यू खाता सं. 10/56 में दर्ज तादादी 4.554 हैक्टेयर में वादी के नाम दर्ज 2/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4 के नाम दर्ज 1/54 हिस्सा प्रत्येक, व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 2/27 हिस्सा कुल 1.012 हैक्टेयर की वादी के पक्ष में घोषणा की जाती है तथा उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/4, 2 का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में

5

अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ